

**इलाहाबाद उच्च न्यायालय खण्ड पीठ****लखनऊ****रिट ए संख्या -2735 वर्ष 2026**

अनिल कुमार मिश्रा

.....याचिकाकर्ता(ओं)

बनाम

प्रधान सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, लखनऊ के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य
और 4 अन्य ।

.....प्रतिवादी

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता: प्रदीप तिवारी

प्रतिवादी के अधिवक्ता : मुख्य स्थायी अधिवक्ता, पुनीत चंद्र

न्यायालय कक्ष संख्या-7**माननीय न्यायमूर्ति मनीष माथुर**

1. हमने याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री प्रदीप तिवारी, विरोधी पक्षकारों संख्या 1, 3, 4 और 5 के विद्वान राज्य अधिवक्ता और विरोधी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत चंद्र की दलीलें सुनीं।

2. दिनांक 10.02.2026 के उस आदेश को चुनौती देते हुए याचिका दायर की गई है जिसके तहत याचिकाकर्ता को अंबेडकर नगर जिले से बदायूं जिले में संलग्न किया गया है। इसके साथ ही अन्य संबंधित प्रार्थनाएं भी की गई हैं।

3. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि विवादित आदेश से संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता की कुर्की उसके विरुद्ध लंबित अनुशासनात्मक कार्यवाही के परिणामस्वरूप

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि याचिकाकर्ता वास्तव में संविदा कर्मचारी है, जैसा कि विवादित आदेश में ही स्पष्ट है, और अनुबंध की शर्तों के अनुसार, याचिकाकर्ता के स्थानांतरण या कुर्की का कोई प्रावधान नहीं है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि इसके अलावा, याचिकाकर्ता के विरुद्ध उपर्युक्त जांच कार्यवाही दिनांक 25.07.2023 को कारण बताओ नोटिस जारी करके शुरू की गई थी, जिसका उत्तर भी 11.08.2023 को प्रस्तुत किया गया है। इसलिए विरोधी पक्षकार के पास लगभग ढाई साल बाद विवादित आदेश पारित करने का कोई अवसर नहीं था।

4. विरोधी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता को दिनांक 14.03.2026 और 17.03.2026 के लिखित निर्देश दिए गए हैं, जिन्हें रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया गया है। इसी आधार पर उन्होंने निवेदन किया है कि जिला मजिस्ट्रेट द्वारा दिनांक 08.09.2023 को जारी पत्र के मद्देनजर याचिकाकर्ता के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही शुरू की गई है। यह पत्र सुरक्षा गार्डों की भर्ती प्रक्रिया में अनियमितताओं से संबंधित है, जिसमें अवैध गबन और रिश्वतखोरी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। निवेदन किया गया है कि जांच कार्यवाही में बाधा न डालने के लिए याचिकाकर्ता की कुर्की की गई है।

5. विरोधी पक्षकार संख्या 2 के विद्वान अधिवक्ता श्री पुनीत चंद्र ने इस याचिका का पुरजोर विरोध करते हुए यह तर्क दिया कि याचिकाकर्ता प्रथम दृष्टया खरीद में अनियमितताओं में शामिल पाया गया है, इसलिए जांच कार्यवाही के सुचारु संचालन के लिए अधिकारियों के लिए उसे आगे बढ़ाना और कहीं और संलग्न करना आवश्यक था।

6. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा प्रस्तुत दलीलों पर विचार करने और अभिलेख में मौजूद सामग्री का अवलोकन करने पर यह स्पष्ट और स्वीकृत है कि याचिकाकर्ता विपक्षी पक्ष संख्या 2 का संविदा कर्मचारी है और सेवा से संबंधित किसी भी नीति या पक्षकारों के बीच

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

सेवा अनुबंध में ऐसी कोई शर्त नहीं है जिसके तहत याचिकाकर्ता को उसकी तैनाती के स्थान से कहीं अन्य स्थान पर स्थानांतरित या संलग्न किया जा सके।

7. दिनांक 14.03.2026 के लिखित निर्देश, विशेष रूप से उसके पैराग्राफ 3(5) से संकेत मिलता है कि याचिकाकर्ता की कुर्की जांच कार्यवाही को प्रभावित न करने के लिए की गई है।

8. इस न्यायालय की राय में, जब याचिकाकर्ता के सेवा संबंधी पहलुओं के लिए स्थानांतरण या कुर्की का कोई प्रावधान नहीं है, तो विपक्षी पक्षकार ऐसी शर्तों से बंधे होने के कारण, स्थानांतरण या कुर्की के लिए ऐसे किसी प्रावधान के बिना इसे रद्द नहीं कर सकते।

9. फिर भी, यह संकेत दिया गया है कि याचिकाकर्ता को जांच कार्यवाही को प्रभावित करने से रोकने के लिए उसकी कुर्की का सहारा लिया गया है।

10. उपर्युक्त पहलुओं के संबंध में, यह स्पष्ट है कि दिनांक 25.07.2023 के कारण बताओ नोटिस के माध्यम से कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसका उत्तर दिनांक 11.08.2023 को प्रस्तुत किया गया था। ढाई वर्ष बीत जाने के बाद भी, न तो विवादित आदेश में और न ही लिखित निर्देशों में इस बात का कोई ठोस स्पष्टीकरण दिया गया है कि क्या याचिकाकर्ता वास्तव में जांच कार्यवाही को प्रभावित करने या बाधित करने का प्रयास कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि यह आदेश प्राधिकरण द्वारा विचार किए जाने वाले पहलुओं पर बिना किसी विचार-विमर्श के एक सामान्य प्रक्रिया के तहत पारित किया गया है।

11. उपरोक्त के मददेनजर, दिनांक 10.02.2026 के विवादित आदेश को निरस्त किया जाता है और याचिकाकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही को शीघ्रता से समाप्त करने के लिए संबंधित प्राधिकारी को स्वतंत्रता प्रदान करते हुए सर्टिओरारी रिट जारी की जाती है। विपक्षी पक्षों को स्थानांतरण

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



करने या याचिकाकर्ता को तभी संलग्न करें जब सेवा प्रावधान या सेवा अनुबंध इसकी अनुमति देते हों।

12. फलस्वरूप, याचिका सफल होती है और प्रवेश स्तर पर ही स्वीकार कर ली जाती है। दोनों पक्ष अपना-अपना खर्च वहन करेंगे।

18 मार्च, 2026

सुबोध/-

(न्यायमूर्ति मनीष माथुर)

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।